

योजना का नाम		निविदा एवं नीलामी का दिनांक				
आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियाँ						
लोहियानगर, शताब्दीनगर						<b>20-05-2015</b>
वेद व्यासपुरी, रक्षापुरम, डिफेन्स एन्क्लेव						<b>21-05-2015</b>
गंगानगर, पल्लवपुरम						<b>22-05-2015</b>
मेजर ध्यान चन्द नगर, सैनिक विहार						<b>23-05-2015</b>
देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को आधार माना जायेगा।						
निविदा-नीलामी हेतु स्थान : विकास प्राधिकरण कार्यालय का सभागार।						
विज्ञापित भूखण्डों के सापेक्ष नियत दिनांक को निविदायें पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 2.00 तक निविदा बॉक्स में डाली जायेगी तथा नियत दिनांक को नीलामी अपराह्न 2.30 बजे से की जायेगी।						
<ul style="list-style-type: none"> <li>विवरण पुस्तिकायें, आवेदन पत्र सहित प्राधिकरण की वेबसाईट (<a href="http://www.mdameerut.org.in">www.mdameerut.org.in</a>) पर उपलब्ध। विवरण पुस्तिका, निविदा-नीलामी में आवासीय सम्पत्तियाँ हेतु उपयोग में लाने पर रुपये 500/- एवं व्यावसायिक हेतु 1000/- प्रति विवरण पुस्तिका का ड्राफ्ट पृथक से देय होगा।</li> </ul>						
पॉकेट	श्रेणी	भूखण्ड सं०	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर में	कीमत लाखों में	धरोहर राशि लाखों में
<b>डॉ० राम मनोहर लोहियानगर (आवासीय)</b>						
I	HI G	I-73/1	246.50	10600	26.13	2.61
I	HI G	I-403/1	162.00	10600	17.17	1.72
I	HI G	I-403/2	235.00	10600	24.91	2.49
I	HI G	I-403/3	241.95	10600	25.65	2.56
<b>वेद व्यापुरी सेक्टर 2(आवासीय)</b>						
C	HIG	C-144/1, C-145/1	225.00	14900	33.53	3.35
<b>रक्षापुरम सेक्टर-01 (आवासीय)</b>						
	HIG	R-01	260.00	11100	28.86	2.89
1	HIG	P 1-3	425.00	11100	47.18	4.72
<b>डिफेन्स एन्क्लेव (आवासीय)</b>						
B	HIG	B-400	144.77	13600	19.69	1.97
<b>गंगानगर फेस-1(आवासीय)</b>						
B	HIG	B-280, B-281	205.00	11100	22.76	2.28
B	HIG	B-279	200.00	11100	22.20	2.22
B	LIG	B-239	83.98	11100	9.32	0.93
B	LIG	B-240	50.47	11100	5.60	0.56
B	LIG	B-241	49.82	11100	5.53	0.55
B	LIG	B-242	59.45	11100	6.60	0.66
B	LIG	B-243	57.35	11100	6.37	0.64
B	LIG	B-244	55.24	11100	6.13	0.61
B	LIG	B-245	53.14	11100	5.90	0.59
B	LIG	B-246	51.00	11100	5.66	0.57
B	LIG	B-247	48.95	11100	5.43	0.54
B	LIG	B-248	47.00	11100	5.22	0.52
B	LIG	B-249	46.13	11100	5.12	0.51
B	LIG	B-250	45.48	11100	5.05	0.50
B	LIG	B-251	44.83	11100	4.98	0.50
B	LIG	B-252	44.19	11100	4.91	0.49
B	LIG	B-253	43.54	11100	4.83	0.48
B	LIG	B-254	42.90	11100	4.76	0.48
B	LIG	B-255	42.25	11100	4.69	0.47

<b>B</b>	<b>LIG</b>	<b>B-256</b>	<b>41.60</b>	<b>11100</b>	<b>4.62</b>	<b>0.46</b>
<b>B</b>	<b>LIG</b>	<b>B-257</b>	<b>40.95</b>	<b>11100</b>	<b>4.55</b>	<b>0.45</b>
<b>B</b>	<b>LIG</b>	<b>B-258</b>	<b>40.30</b>	<b>11100</b>	<b>4.47</b>	<b>0.45</b>
<b>B</b>	<b>LIG</b>	<b>B-259</b>	<b>39.66</b>	<b>11100</b>	<b>4.40</b>	<b>0.44</b>
<b>B</b>	<b>LIG</b>	<b>B-260</b>	<b>39.00</b>	<b>11100</b>	<b>4.44</b>	<b>0.44</b>
<b>B</b>	<b>LIG</b>	<b>B-261</b>	<b>38.36</b>	<b>11100</b>	<b>4.26</b>	<b>0.43</b>
<b>B</b>	<b>LIG</b>	<b>B-262</b>	<b>37.72</b>	<b>11100</b>	<b>4.19</b>	<b>0.42</b>
<b>B</b>	<b>LIG</b>	<b>B-263</b>	<b>37.00</b>	<b>11100</b>	<b>4.11</b>	<b>0.41</b>
<b>B</b>	<b>LIG</b>	<b>B-264</b>	<b>56.00</b>	<b>11100</b>	<b>6.22</b>	<b>0.62</b>
<b>B</b>	<b>LIG</b>	<b>B-295</b>	<b>55.00</b>	<b>11100</b>	<b>6.11</b>	<b>0.61</b>
<b>मेजर ध्यान चन्द्र नगर (आवासीय)</b>						
<b>C</b>		<b>C-70/1, 70/2 C-85/1,98/1 C-154, 155</b>	<b>99.00</b>	<b>12100</b>	<b>11.98</b>	<b>1.20</b>
<b>C</b>		<b>C-14/1</b>	<b>150.00</b>	<b>12100</b>	<b>18.15</b>	<b>1.82</b>
<b>शताब्दीनगर (व्यावसायिक)</b>						
<b>SEC 1</b>	<b>Pkt-A</b>	<b>264/1</b>	<b>112.55</b>	<b>21200</b>	<b>23.86</b>	<b>2.40</b>
<b>SEC 1</b>	<b>Pkt-A</b>	<b>264/2</b>	<b>90</b>	<b>21200</b>	<b>19.08</b>	<b>1.90</b>
<b>SEC 1</b>	<b>Pkt-A</b>	<b>264/3</b>	<b>110.15</b>	<b>21200</b>	<b>23.35</b>	<b>2.34</b>
<b>6-SC</b>	<b>Part-1</b>	<b>1to 25</b>	<b>300</b>	<b>21200</b>	<b>63-60</b>	<b>6-36</b>
<b>पल्लव पुरम (आवासीय)</b>						
<b>j</b>	<b>MIG</b>	<b>89</b>	<b>293</b>	<b>11100</b>	<b>32-52</b>	<b>3.25</b>
<b>पल्लव पुरम-1(व्यावसायिक)</b>						
<b>j</b>	<b>Pkt-j</b>	<b>C- 13,14,24, 25,26</b>	<b>200.00</b>	<b>22200</b>	<b>44.40</b>	<b>4.44</b>
<b>शताब्दीनगर (आवासीय)</b>						
<b>1-E</b>		<b>340 / 1</b>	<b>672.30</b>	<b>10600</b>	<b>71.26</b>	<b>7. 13</b>
<b>सैनिक विहार (आवासीय)</b>						
<b>C</b>	<b>HIG</b>	<b>C-450 C-446 C-445</b>	<b>200.00</b>	<b>10600</b>	<b>21.20</b>	<b>2.12</b>
<b>C</b>	<b>MIG</b>	<b>C-423</b>	<b>120.00</b>	<b>10600</b>	<b>12.72</b>	<b>1.27</b>
<b>निविदा-नीलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक विवरण-</b>						
<p>(1) आवेदकों को प्रत्येक भूखण्ड/भवन के लिये कीमत का 10 प्रतिशत धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा/नीलामी आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा जिन आवेदन पत्रों के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, मूल रूप में संलग्न न पाया जाने पर उन आवेदकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। (2) विस्तृत नियम एवं शर्तें विवरण पुस्तिका में उल्लिखित है। (3) विज्ञापित सम्पत्तियों पर भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0-भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित 2011) के अनुसार अनुमत्य होगा। (4) विज्ञापन शुदा अवशेष गैर आवासीय सम्पत्तियों की नीलामी प्रत्येक मंगलवार (कार्यदिवस) तथा आवासीय सम्पत्तियों की नीलामी प्रत्येक बुद्धवार (कार्य दिवस) में होगी। (5) निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने हेतु भूखण्डों की विवरण पुस्तिकायें प्राधिकरण की वेबसाईट (<a href="http://www.mdameerut.org.in">www.mdameerut.org.in</a>) पर उपलब्ध है। आवासीय सम्पत्तियों हेतु रुपये 500/- एवम व्यावसायिक हेतु 1000/- के भुगतान पर 171/1, सूर्याश प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ स्थित एच0डी0एफ0सी0बैंक की शाखा से प्राप्त की जा सकती है। (6) आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि स्थल/सम्पत्ति का निरीक्षण एवं नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया की जानकारी (जो कि नीलामी ब्रोशर एवं वेबसाईट पर उपलब्ध है) नीलामी शुरू होने से पूर्व अवश्य कर लें। नीलामी के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। (7) उपाध्यक्ष/नीलामी समिति के अध्यक्ष जनहित/प्राधिकरण हित में किसी भी एक अथवा सभी भूखण्डों की नीलामी स्थगित कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने वाले आवेदकों को निर्धारित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। (8) उपरोक्त से सम्बन्धित आवश्यक तकनीकी जानकारी सहायक नगर नियोजक से प्राप्त की जा सकती है। (9) निविदा-सह-नीलामी के माध्यम से आवासीय सम्पत्ति प्राप्त करने के इच्छुक केवल वें आवेदक भाग ले सकते हैं, जिनके परिवार के पक्ष में प्राधिकरण की योजनाओं में पहले से कोई आवासीय सम्पत्ति आवंटित न हो, यह तथ्य आवंटन पश्चात सज्जान में आने पर आवंटन निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।</p>						
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति।			सुनियोजित विकास प्राधिकरण के साथ		उपाध्यक्ष।	